विविध बैंक प्रकरण संख्या 83/2020(GCMS : 2020/00236) पंजाब एण्ड सिंध बैंक, शाखा श्रीगंगानगर मैन बनाम 1. रोशन लाल मिगलानी पुत्र मेला राम मिगलानी 2. गुरदेव लाल मिगलानी पुत्र रोशन लाल मिगलानी 3. निर्मला मिगलानी पत्नी रोशन लाल मिगलानी पता के–10 कुंज विहार, श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.06.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री हरवीर सिंह बराड़ एवं अप्रार्थी रोशन लाल मिगलानी उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 23.10.2020 को प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक द्वारा **अप्रार्थीगण रोशन लाल मिगलानी, गुरदेव लाल मिगलानी एवं निर्मला मिगलानी** को ऋण सुविधा के रूप में कुल 8.00 लाख रूपये (अखरे रूपये आठ लाख मात्र) का ऋण दिनांक 07.12.2015 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी रोशन लाल मिगलानी की सम्पत्ति दुकान नं. 18/8 (1/6 वां भाग), (क्षेत्रफल 170 वर्गफीट) गांधी चौक, गोल बाजार श्रीगंगानगर को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 30.09.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थीगण ऋणियों के नाम दिनांक 30.09.2019 को 6,48,566/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 05.10.2019 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने के लिए जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है। इसके बावजूद भी **अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास दृष्टि बंधक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.30 16:04:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

रखी गई अप्रार्थी रोशन लाल मिगलानी की सम्पत्ति दुकान नं. 18/8 (1/6 वां भाग), (क्षेत्रफल 170 वर्गफीट) गांधी चौक, गोल बाजार श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी रोशन लाल मिगलानी ने कथन किया कि उसका प्रार्थी बैंक के साथ राशि 4,61,000/— रूपये जमा करवाने का समझोता तय हो गया था और समझौते के अनुसार प्राथी द्वारा 60,000/— रूपये बैंक में जमा करवा दिये थे और बकाया राशि जमा करवाने के लिए दिनांक 12.05.2022 तय की गई थी जो उक्त दिनांक तक प्रार्थी के पास व्यवस्था नहीं हो सकी थी। अब प्रार्थी व बैंक के मध्य समझौता वार्ता बैंक के प्रधान कार्यालय में चल रही है जिस हेतु प्रार्थी उक्त राशि जमा करवाने के लिए एक माह का समय लेना चाहता है इसलिए उसे बकाया ऋण राशि जमा करवाने हेतु एक माह का समय प्रदान करने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री हरवीर सिंह बराड़ ने अप्रार्थी की उक्त बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि **प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को पूर्व में ही दो माह का समय दिया जा चुका है** साथ ही वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत **ऋणियों को सुने जाने का कोई प्रावधान नहीं हैं, इसलिए ऋणी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित आपत्तियों पर** इस न्यायालय **को विचार करने की कोई अधिकारिता नही है** इसलिए अप्रार्थी ऋणियों द्वारा प्रस्तुत उक्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जा सकता।

मैने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 [illegible] उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थी [illegible] अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण रोशन लाल मिगलानी, गुरदेव लाल** [illegible] **निर्मला मिगलानी को** दिनांक 07.12. 2015 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की [illegible]एवज में अप्रार्थी रोशन लाल मिगलानी ने अपनी सम्पत्ति दुकान नं. 18/8 (1/6 वां भाग), (क्षेत्रफल 170 वर्गफीट) गांधी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.30 16:04:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

चौक, गोल बाजार श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणियों का खाता दिनांक 30.09.2019 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गये। बैंक द्वारा अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा **13(2) के नोटिस दिनांक 05.10.2019/ 05.11.2019 (अस्पष्ट)** को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से भिवजाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। **अप्रार्थीगण के धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप अप्रार्थीगण रोशन लाल मिगलानी, गुरदेव लाल मिगलानी की प्राप्ति रसीद दिनांक 15.11.2019 की पत्रावली में उपलब्ध है, जिन पर अप्रार्थी निर्मला मिगलानी के हस्ताक्षर है एवं अप्रार्थी निर्मला मिगलानी की पावती रसीद पर निर्मला मिगलानी के स्वयं के हस्ताक्षर है इसीप्रकार अप्रार्थीगण रोशनलाल मिगलानी, गुरदेव लाल मिगलानी एवं निर्मला मिगलानी को जारी धारा 13(2) के नोटिस पर रोशन लाल मिगलानी के हस्ताक्षर है। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी ऋणी रोशन लाल मिगलानी एवं गुरदेव लाल मिगलानी को धारा 13(2) के नोटिस की विधिवत् तामील नहीं हुई है।**

अप्रार्थी **ऋणी द्वारा स्वतः की उपस्थित** आकर प्रार्थी बैंक द्वारा धारा 14 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध अपने प्रार्थना पत्र में जो आपत्ति की है, उनके सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है अथवा नहीं? इस संदर्भ में 2016(4) डीएनजे(राज.) 1814 राज. हाईकोर्ट अनवानी पंकज कुमार डगरिया एवं अन्य बनाम जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर एवं अन्य के पैरा 14, 15, 16, 17 में निम्न व्यवस्था की गई है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.30 16:04:06 IST
Reason: SelfAttested

> 14. From bare reading of section 14 of the act of 2002, it is clear that the District Magistrate is not required to give any notice to borrowers, guarantors or any other person while dealing with the application under Section 14 of the Act of 2002.

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

15. The Division Bench of Bombay High Court after taking into consideration its earlier pronouncements as well as the decision of Hon'ble Supreme Court on the point in issue has held that the action of the District Magistrates and Chief Metropolitan Magistrates of issuing notices to the borrowers, guarantors or any other person providing them opportunity of hearing or allowing them to file objections is contrary to law laid down by the Hon'ble Supreme court and various other high courts.

16. I am in perfect agreement with the law laid down by the Bombay High Court in above referred decisions. More over, as per the decision of Hon'ble Supreme Court in United Bank of India Vs. Satyawati Tondon & Ors., (Supra), the petitioners have an alternate remedy to file an appeal under Section 17 of the Act of 2002 against any order passed by the District Magistrate on the application under Section 14 of the act of 2002 filed by the respondents.

17. In view of the above discussions, reliefs prayed for by the petitioners in this petition cannot be granted. Hence, the instant writ petition fails and is hereby dismissed.

There Shall be no order as to costs.

चूंकि वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ऋणी, जमानतदार अथवा अन्य किसी व्यक्ति को सुने जाने का कोई प्रावधान नही है। ऐसा ही मत माननीय उच्च न्यायालय राज. जोधपुर द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टान्त में व्यक्त किया गया है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक निर्णय के प्रकाश में अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना दिनांक 08.06.2022 में गई आपत्ति पर किसी प्रकार से विचार नहीं किया जा सकता [illegible]आईआर 2012 गुजरात 90 के अनुसार भी किसी के अधिकारों [illegible] नही है और एआईआर 2011 बॉम्बे 32 के अनुसार भी किसी भी दस्त[illegible] की वैद्यता की जांच करने का इस न्यायालय को कोई अधिकारिता नहीं है। ऐसी दशा में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 08.06.2022 विचार योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.30 16:04:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी रोशन लाल मिगलानी की सम्पत्ति दुकान नं. 18/8 (1/6 वां भाग), (क्षेत्रफल 170 वर्गफीट) गांधी चौक, गोल बाजार श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 05.10.2019/05.11.2019 (अस्पष्ट) की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 05.10.2019/05.11.2019 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है एवं अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप अप्रार्थी निर्मला मिगलानी की प्राप्ति रसीद पर स्वयं के हस्ताक्षर है एवं रोशल लाल मिगलानी एवं गुरदेव लाल मिगलानी की प्राप्ति रसीद पर निर्मला मिगलानी के हस्ताक्षर है जबकि अप्रार्थी रोशन लाल मिगलानी, गुरदेव लाल मिगलानी एवं निर्मला मिगलानी को धारा 13(2) के नोटिस पर Registered AD/Speed Post अंकित किया हुआ है और दोनों के हस्ताक्षर नोटिस पर मौजूद है जिस पर कोई दिनांक अंकित नही है, जबकि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के व्यक्तिगत तामील का कोई नोटिस पत्रावली में उपलब्ध नही है। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी रोशन लाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.30 16:04:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मिगलानी एवं गुरदेव लाल मिगलानी को धारा 13(2) के नोटिस की विधिवत् तामील नहीं हुई है। वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा 13(2) का 60 दिवस का नोटिस जारी करने पर यदि अप्रार्थीगण ऋणियों पर नोटिस की तामील नहीं होती है और अप्रार्थीगण नोटिस की तामील से बचने का प्रयास करते है तो नोटिस की प्रति उनके निवास स्थान पर चस्पा कर दो समाचार पत्रों में धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन करवाना आवश्यक होता है परन्तु प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) के नोटिस की रजिस्टर्ड डाक से विधिवत् तामील नहीं करवाई है और रजिस्टर्ड डाक से तामील न होने पर धारा 13(2) के नोटिस की चस्पांदगी उसके निवास स्थान पर कर धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन दो समाचार पत्रों में नहीं करवाया है इसलिए अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की विधिवत् तामील नहीं मानी जा सकती।

नोटिस तामील के सम्बन्ध में वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 3 निम्नानुसार अवलोकनीय है:

Demand Notice

(1) The service of demand notice as referred to in sub-section (2) of section 13 of the Ordinance shall be made by delivering or transmiting at the place where the borrower or his agent. empowered to accept the notice or documents on behalf of the borrower, actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain, by registered post with acknowledgement due, addressed to the borrower or his agent empowered to accept the service or by speed post or by courier or by any other means of transmission of documents like fax message or electronic mail service:

PROVIDED that where authorised officer has reason to believe that

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.30 16:04:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

the borrower or his agent is avoiding the service of the notice or that for any other reason, the service cannot be made as aforesaid, the service shall be effected by affixing a copy of the demand notice on the the outer door or some other conspicuous part of the house or building in which the borrower or his agent ordinarily resides or carries on business or personally works for gain and also by publishing the contents of the demand notice in two leading newspaper, one in vernacular language, having sufficient circulation in that locality.

(2) Where the borrower is a body corporate the demand notice shall be served on the registered office or any of the brances of such body corporate as specified under sub rule(a)

(3) Any other notice in writing to be served on the borrower or his agent by authorised officer, shall be served in the same manner as provided in this rule.

(4) Where there are more than one borrower the demand noice shall be served on each borrower.

चूंकि प्रार्थीगण धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 05.10.2019/05.11.2019 (अस्पष्ट) को जारी कर रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है तथा जिसकी रसीद भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता कि पत्रावली में उपलब्ध प्राप्ति रसीद धारा 13(2) के नोटिस की है अथवा नहीं? इसीप्रकार अप्रार्थी रोशन लाल मिगलानी एवं गुरदेव लाल मिगलानी को धारा 13(2) के नोटिस पर Registered AD/Speed Post से भिजवाया जाना अंकित किया है और नोटिस पर अप्रार्थी **रोशन लाल मिगलानी एवं गुरदेव लाल मिगलानी के व्यक्तिशः हस्ताक्षर है,** जिस पर कोई दिनांक भी अंकित नहीं है [illegible] Regis[illegible]/Speed Post से भिजवाये गये धारा 13(2) के नोटिस पर व्यक्तिशः [illegible] जाना प्रतीत होता है क्योंकि पत्रावली में उपलब्ध Registere[illegible] भिजवाये गये धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति रसीद पर निर्मला के हस्ताक्षर है। इसप्रक[illegible] अप्राथीगण को प्रार्थी बैंक द्वारा भिजवाये गये नोटिस की स्वयं पर विधिवत् तामील नही हुई है जो उक्त **THE SECURITY INTEREST(ENFORCEMENT) RULES, 2002** के **RULE 3** के तहत मान्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.30 16:04:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

नहीं है। इस प्रकार बैंक द्वारा ऋणी को तामील के सम्बन्ध में अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारो की अवहेलना की है। इसप्रकार ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की विधिवत् तामील होना नहीं माना जा सकता।

माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीड ने 2012 Cr. I.R.(SC) 726- State of Bihar & Anr versues Arvind Kumar & Anr के पैरा—13 में भी निम्न प्रकार से निर्देश दिये है :

> **13.In Manish Goel Vs Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099, this Court has held that genrally, no Court has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provis'ons. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [see aslo : Vice Chancellor, University of Allahabad & Ors. Vs Dr. Anand Prakash Mishra & Ors., (1997) 10 SCC 264; and karnataka State Road Trasnport Corporation Vs Ashrafulla Khan & Ors, AIR 2002 SC 629]**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर एवं उक्त कानूनी प्रावधानों की अवहेलना होने के कारण प्रार्थी पंजाब एण्ड सिंध बैंक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 स्वीकार करने योग्य नहीं है। प्रार्थी बैंक का उक्त प्रार्थना खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना करते हुए अप्रार्थीगण को पुनः धारा 13(2) के नोटिस जारी कर सम्पूर्ण कार्यवाही नये सिरे से कर पुनः धारा 14 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील शामिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.30 16:04:06 IST
Reason: SelfAttested

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर